**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**राजस्व विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4045**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)**

**आयकर विभाग द्वारा किए गए अन्वेषण और सर्वेक्षण**

**4045. श्री परिमल नथवानीः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में आयकर विभाग द्वारा कितने अन्वेषण और सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने अन्वेषणों और सर्वेक्षणों को छापों में परिवर्तित किया गया है; और

(ग) सरकार को वसूली राजस्व से वास्तविक रूप से कितनी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

1. **:** आयकर विभाग द्वारा पिछले 3 वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए वित्त वर्ष वार तलाशी और जब्ती व सर्वेक्षण आपरेशन निम्नलिखत हैं:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वित्त वर्ष | तलाशी किए समूह की संख्या | किए गए सर्वेक्षण |
| 2014-15 | 545 | 5035 |
| 2015-16 | 447 | 4428 |
| 2016-17 | 1152 | 12520 |
| 2017-18 ( फरवरी, 2018 तक) | 527 | 11120 |

1. : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 में, तलाशी और जब्ती कार्यों से संबंधित प्रावधान विहित किए गए हैं। इस धारा के तहत, कर निर्धारिती के (गृह) परिसर की तलाशी ली जाती है और अघोषित परिसम्पत्तियों और अपराध संकेती दस्तावेजों की जब्ती की जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 क के तहत, कर निर्धारिती के कारबार परिसर में सर्वेक्षण किए जाते हैं और पाए गए दस्तावेजों/बहुमूल्य वस्तुओं का निरीक्षण और सत्यापन किया जाता है। यदि आवश्यक होता है, तो दस्तावेजों को जब्त भी किया जाता है। तथापि आयकर अधिनियम, 1961 में ‘छापे’ शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।
2. आयकर विभाग, तलाशी और जब्ती कार्यों के दौरान पाई गई अस्पष्ट परिसम्पत्तियों जैसे नकदी, आभूषण इत्यादि की जब्ती करता है। तलाशी कार्य और बाद की जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर, कर निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया जाता है और कर मांगपत्र बनाया जाता है। तथापि, निर्धारित आय और उस पर कर को, केवल तभी अन्तिम रूप दिया जाता है, जब सीआईटी(अ), आईटीएटी, उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष संबंधित सभी अपीलें, यदि कोई हो, निपटा दी जाती हैं। अत: की गई जांच के परिणाम और वास्तविक वसूली की राशि व सरकार को सृजित राजस्व का निर्धारण, इन अपीलों को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही हो सकता है।

तथापि, पिछलें तीन वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान, तलाशी और जब्ती कार्यों के दौरान कुल जब्ती और अघोषित आय निम्न है।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वित्त वर्ष | कुल जब्ती करोड़ रू. में | तलाशी ओर जब्ती कार्यों के दौरान पता लगी अघोषित आय (रुपए करोड़ में) |
| 2014-15 | 761.70 | 10228.05 |
| 2015-16 | 712.32 | 11226.02 |
| 2016-17 | 1469.62 | 15496.73 |
| 2017-18( फरवरी, 2018 तक) | 938.69 | 14038.89 |